


## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1.) श्री बिनोद उरांव 2.) मनोज उरांव दोनों के पिता- श्री कर्मा उरांव , ग्राम- चमातू , थाना- बालुमाथ जिला- लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए,1957 आधिनियम के तहत (झारखण्ड) थाना सं. 56 (रेयती भूमि) खाता सं. 204; प्लॉट सं. 2371, 2414, 2436, 2442 एवं 2344 ;कुल रकबा - 04.00 एकड़ (रेयती भूमि) के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनो के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा की उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।



18/02/23